(69)

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल म0प्र0 ग्वालियर

प्र0क्र. / 2018 / पुनरविलोकन (रिव्यू)

पुनर्विलोकन - 6071/2018/जबलपुर/भू. 25

1 राजकुमार पुत्र मिट्ठूलाल निवासी ग्राम जुतबासी खुर्द तह. मझौली जिला जबलपुर (म0प्र0)

श्री .... द्वारा आज दि. 10.10.18 प्रस्तुत। प्रारंभिक तर्क हेतु दिनांक 15-10-18 नियत।

क्लर्क ऑफ कोर्ट राजस्व मण्डल, म.प्र. 10.10.18

.... प्रार्थी

बनाम

1 राम विशाल पुत्र मूलचन्द कुर्मी

2 रामजी लाल पुत्र मूलचन्द कुर्मी

निवासीगण ग्राम सागौड़ी तह. मझौली जिला जबलपुर (म0प्र0)

10/10/18

.... प्रतिप्रार्थी

पुनरविलोकन आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 51 अंतर्गत म0प्र0भू–राजस्व संहिता विरूद्ध आदेश राजस्व मण्डल म0प्र0 (पीठासीन अधिकारी माननीय श्री एस. एस.अली सदस्य) आदेश दिनांक 24.09.2018 प्रकरण क्रमाक 347 एक / 17 निगरानी।

श्रीमान जी,

पुनरविलोकन आवेदन पत्र निम्न आधारों पर प्रस्तुत है :–

(1) यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा पारित विवादित आदेश अभिलेख की प्रत्यक्ष दर्शी भूल पर आधारित होने से निरस्ती योग्य है ।

(2) यहकि, इस माननीय न्यायालय ने प्रकरण के स्वरूप एवं कानूनी स्थिति को सही नहीं समझा यह अभिलेख देखने से प्रथम दृष्टया स्पष्ट है ।

(3) यह कि, एस.डी.ओ. महोदय के न्यायालय में प्रस्तुत अपील में समयावधि के सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्रतिप्रार्थीगण की ओर से न तो एस.डी.ओ. महोदय के न्यायालय में की गई और न अपर आयुक्त महोदय के न्यायालय में की गई और न ही इस माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल में प्रस्तुत निगरानी आवेदन पत्र में की गई हैं । यहां पर माननीय न्यायालय में तर्को में भी नहीं की गई । ऐसी स्थिति में कानूनन जो आपत्ति

क्रमशः––2

पुनर्विलोकन - 6071/2018/जबलपुर/भू-रा०

20/12/18

आवेदक अभि० श्री एस०के० अवस्थी उप०/ अना- अभि० श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित।

आवेदक अभि० श्री एस०के० अवस्थी एवं श्री० धीरेन्द्र सिंह अधिवक्ता साथ- प्रकरण आगे नहीं चलाने का अनुरोध किया है। अतः अनुरोध स्वीकार किया जाता है। तथा प्रकरण आगे नहीं चलाने के कारण इसी स्तर पर समाप्त किया जाता है।

सदस्य

R.V.
20/12/18
निवेदित किया [illegible]
हस्ताक्षर

[illegible]